

फार्म

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस जिले का नाम, जिसमें वह हो गुणवर्धन कुमार 2 वर्तमान धारित भूद 21.12.2017
 (लोक सेवा आयोग द्वारा प्र.प.)

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख,


उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		***वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-अमरपुरी जिला-अमरपुरी	195000 रु. प्लॉट	3 एकड़			शुद्ध पैसिक पैसिक अर्जित कम (व्यय) के बाद	50,000	
ग्राम-महाकुआली जिला-अमरपुरी	मकान	4.42 एकड़		फूड इंडस्ट्री के नाम में पैसिक अर्जित विपणन के जवाब में 2012 में खरीदा	पैसिक अर्जित कम (व्यय) के बाद 2012 में खरीदा	20,000	
ग्राम-पैरी जिला-अमरपुरी		2.10 एकड़ (अर्जित) वर्तमान				00,000	
						70,000	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का भंडा-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाना, मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : महाराष्ट्र शासकीय सेवा (नियंत्रण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त 10 घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर 
 नाम : गुणवर्धन कुमार
 पद : जिला अधिकारी